



2026:AHC:25832

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2843/2026

अहमद अली

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : संजय सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादी/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादीगण इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. याची द्वारा वर्तमान याचिका में मुख्य रूप से प्रतिवादी संख्या 2 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 76 के अंतर्गत दायर वाद/आवेदन दिनांक 10.09.2025 पर शीघ्रता से अंतिम निर्णय लेने हेतु निर्देशित करने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, किंतु आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका प्रतिवादी संख्या 2-उप जिलाधिकारी, तहसील-धौलाना, जनपद हापुड़ को यह निर्देश देते हुए निस्तारित की जाती है कि वे उपरोक्त वाद/आवेदन का निस्तारण विधि के अनुसार कड़ाई से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया न्यायमूर्ति)

5 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"